



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1936 (श0)

(सं0 पटना 838) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अक्टूबर 2014

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

30 सितम्बर 2014

सं0 6/एन0 13-02/14-499(6)—भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन उपचर्या शिक्षण संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

अध्याय - 1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—(1) यह नियमावली "बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्यमें होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।— जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

(iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार;

(iv) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग; तथा

(vi) 'मान्यता प्राप्त संस्थान' से अभिप्रेत है भारतीय नर्सिंग परिषद से बी0 एस—सी0 (नर्सिंग) कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान।

अध्याय - 2 : संवर्ग का गठन एवं संरचना

3. संवर्ग का गठन।—यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के पदों की कुल संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा, समय-समय पर, स्वीकृत की जाय।

4. संवर्ग की संरचना एवं पदसोपान।—उपचर्या प्रशिक्षण विद्यालय/संस्थान और उपचर्या निदेशालय के निम्नांकित पद इस संवर्ग में शामिल होंगे :-

(क) जूनियर सिस्टर ट्यूटर

— मूल कोटि का पद।

(ख) सिनियर सिस्टर ट्यूटर

— प्रथम सोपान।

(ग) प्राचार्य/रजिस्ट्रार/सहायक निदेशक (नर्सिंग)

— द्वितीय सोपान।

- (घ) उप निदेशक, नर्सिंग — तृतीय सोपान
 (ड.) संयुक्त निदेशक, नर्सिंग — चतुर्थ सोपान
 उपर्युक्त पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड—पे वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायेगा।

अध्याय - 3 : भर्ती

5. **भर्ती**।— इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद पर, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, सीधी भर्ती से होगी।

6. **अर्हताएँ**।— (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से, भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा, समय-समय पर, अवधारित अवधि का, बी०एस—सी० (नर्सिंग) कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण—पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में ग्रेड—ए नर्स के रूप में कम से कम तीन वर्षों का कार्यानुभव रहना भी आवश्यक होगा।

(2) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु—सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय।

(3) संबंधित वर्ष की 1 ली अगस्त को, उम्र के अवधारण के प्रयोजनार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. **भर्ती की प्रक्रिया**।— (1) नियुक्ति प्राधिकार वर्ष की प्रत्येक वर्ष 1 ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर और रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार, अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :-

(क) बी०एस—सी० (नर्सिंग) कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	—	50 अंक
(ख) उच्चतर डिग्री के लिए	—	10 अंक
(ग) ग्रेड 'ए' नर्स के रूप में कार्यानुभव के लिए (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	—	25 अंक
(घ) साक्षात्कार के लिए	—	15 अंक
कुल	—	100 अंक

स्पष्टीकरण।— बी०एस—सी० (नर्सिंग) कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50\% \times 0.5 = 25$ अंक दिये जायेंगे।

(3) साक्षात्कार के लिए प्रक्रिया का अवधारण आयोग के द्वारा किया जाएगा।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (2) के आधार पर मेधा—सूची तैयार करने के पश्चात् आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच आदि के पश्चात्, अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(5) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय - 4 : परिवीक्षा / विभागीय परीक्षा / सम्पुष्टि

8. **परिवीक्षा अवधि**।— नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगी। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जासकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे जुनियर सिस्टर ट्यूटर को सेवा—मुक्त कर सकेगा।

9. **प्रशिक्षण**।— परिवीक्षा अवधि में जुनियर सिस्टर ट्यूटर को ऐसे प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित) को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, जो विभाग द्वारा अवधारित किया जाय।

10. **विभागीय परीक्षा**।— जुनियर सिस्टर ट्यूटर को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि**।— परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जुनियर सिस्टर ट्यूटर को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

12. **वरीयता**।— जुनियर सिस्टर ट्यूटर की आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा अन्तिम रूप से तैयार मेधासूची के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय - 5 : प्रोन्नति

13. **प्रोन्नति**।— (1) सेवा में सम्पुष्ट जुनियर सिस्टर ट्यूटर को, कम-से-कम 5 (पाँच) वर्षों का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त हो जाने पर, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता—सह—वरीयता के आधार पर, सिनियर सिस्टर ट्यूटर के अगले पद—सोपान के पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। इस प्रयोजनार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति साक्षात्कार/जाँच आयोजित कर सकेगी। समुचित विभागीय प्रोन्नति समिति, गोपनीय प्रतिवेदन सहित सेवा अभिलेख के

आधार पर प्रोन्नति के लिए पात्र कर्मियों के गुणावगुण तथा उपयुक्तता का निर्णय करेगी और उस क्रम की अनुशंसा करेगी जिस क्रम में प्रोन्नति किये जा सकेंगे।

(2) योग्य जुनियर सिस्टर ट्यूटर के अत्यावश्यकता या अनुपलब्धता के मामले में, सरकार सिनियर सिस्टर ट्यूटर के पदों पर, संविदा के आधार पर, सीमित अवधि के लिए, बाह्य स्रोतों से नियोजन कर सकेगी।

(3) सिनियर सिस्टर ट्यूटर के पद पर कम-से-कम 5 (पाँच) वर्षों का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त हो जाने पर, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर, सिनियर सिस्टर ट्यूटर के पद से प्राचार्य/रजिस्ट्रार के अगले पद-सोपान के पद पर प्रोन्नति विचारणीय हो सकेगी :

परन्तुसंवर्गीय कर्मियों की अनुपलब्धता कीदशा में सरकार को विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए वह संवर्ग के बाहर से उपयुक्त व्यक्ति को प्राचार्य/रजिस्ट्रार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त करने का विकल्प प्राप्त होगा।

(4) सहायक निदेशक, नर्सिंग - इस पद को प्राचार्य एवं रजिस्ट्रार में से वरीयता के आधार पर भरा जायेगा।

(5) उप निदेशक, नर्सिंग- इस पद को सहायक निदेशक, नर्सिंग के पदधारकों के बीच से, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, वरीयता के आधार पर, पदस्थापन द्वारा भरा जायेगा।

(6) संयुक्त निदेशक, नर्सिंग - इस पद को उपनिदेशक, नर्सिंग के पदधारकों के बीच से, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(7) संयुक्त निदेशक के पदों पर प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कालावधि संबंधी, समय-समय पर, निर्गत अनुदेश का अनुपालन अपेक्षित होगा।

(8) प्रोन्नति संबंधी और चारित्री या पी0 ए0 आर0, आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, निर्गत अनुदेशों का अनुपालन, प्रोन्नति पर विचार करते समय, आवश्यक होगा।

14. विभागीय प्रोन्नति समिति।- (1) प्रोन्नतियाँ, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) अधिकतम ग्रेड-पे में प्रोन्नति पर विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होंगे।

अध्याय - 6 : प्रकीर्ण

15. आरक्षण।- सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी, इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

17.नियम - 4 में अंकित पद-सोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

18. अवशिष्ट मामले।-इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की, प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

19. निर्वचन।-यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई संशय हो तो उसे राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

20. कठिनाई का निराकरण।- यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई का निराकरण करने हेतु ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, तथा उस कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन हो।

21. निरसन एवं व्यावृत्ति।- (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय - समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, अनुदेश, आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वाराकिया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश कुमार शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट - 1

[नियम 2 (vii), 5, 17, 18 द्रष्टव्य]

बिहारउपचर्या शिक्षण संवर्ग का पदसोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति	शैक्षणिक अर्हता/अनुभव कालावधि	अभ्युक्ति
1.	मूल कोटि	कनीय बहन ट्यूटर	सीधी भर्ती द्वारा	(i) बी0 एस-सी0 (नर्सिंग)। (ii) ग्रेड-ए नर्स के रूप में कम से कम तीन वर्षों का कार्यानुभव आवश्यक।	-
2.	प्रथम सोपान	वरीय बहन ट्यूटर	पदस्थापन द्वारा	कनीय बहन ट्यूटर के पद का कम से कम 5 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव आवश्यक।	-
3.	द्वितीय सोपान	प्राचार्य/रजिस्ट्रार/सहायक निदेशक (नर्सिंग)	प्रोन्नति द्वारा	कम से कम 10 (दस) वर्षों का शैक्षणिक अनुभव आवश्यक।	सरकार को यह विकल्प होगा कि वह संवर्ग के बाहर से योग्य व्यक्ति को, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, नियुक्त कर सकेगी।
4.	तृतीय सोपान	उप निदेशक, नर्सिंग	पदस्थापन द्वारा		-
5.	चतुर्थ सोपान	संयुक्त निदेशक, नर्सिंग	प्रोन्नति द्वारा	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत ग्रेड-पे आधारित कालावधि।	

नोट :- उपर्युक्त सभी कोटियों के वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षणीय होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

30 सितम्बर 2014

सं0 6/एन0 13-02/14-500(6) अधिसूचना संख्या 6/एन0 13-02/14-499(6) दिनांक 30 सितम्बर 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 30th September 2014

No. 6/N. 13-02/14-499(6)—In exercise of powers conferred by proviso to Article - 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate appointment, promotion and other service conditions in the Nursing Teaching Cadre under the Health Department. -

Chapter 1 : PRELIMINARY

1. Short title, extent & commencement. - (1) These Rules may be called as the “Bihar Nursing Teaching Cadre Rules, 2014.”

(2) It will extend to the whole State of Bihar.

(3) It will come into force at once.

2. Definitions. - In these Rules, unless otherwise required in the subject or context:-

(i) ‘Government’ means Bihar State Government ;

(ii) ‘Department’ means Health Department ;

(iii) ‘Appointing Authority’ means Director-in-Chief, Health Services, Bihar, Patna;

(iv) ‘Commission’ means Bihar Public Service Commission;

(v) ‘Cadre’ means Bihar Nursing Teaching Cadre; and

(vi) ‘Recognized Institution’ means an Institution recognized by Indian Nursing Council for B.Sc. (Nursing) Course.

Chapter 2 : CONSTITUTION AND STRUCTURE OF THE CADRE

3. Constitution of cadre. - This Cadre shall be at state level. In this cadre, the number of posts in each category and total number of posts of the cadre shall be such as may be sanctioned by the Government, from time to time.

4. Structure of the cadre and posts-chain. - The following posts of Nursing Training Schools/Institutions and Nursing Directorate will be included in this cadre :-

(a) Junior Sister Tutor.	- Post of Original Category
(b) Senior Sister Tutor.	- First Chain
(c) Principal/Registrar/Assistant Director (Nursing)	- Second Chain
(d) Deputy Director, Nursing.	- Third Chain
(e) Joint Director, Nursing.	- Fourth Chain

Pay Band and Grade Pay of the above posts shall be the same as may be determined by the Government, time to time.

Chapter 3 : RECRUITMENT

5. Recruitment. - The appointment in this cadre shall be to the post of basic category on the basis of recommendation of the Commission by direct recruitment.

6. Qualifications. - (1) For appointment by direct recruitment to the post of basic category, minimum educational qualification shall be pass in B.Sc. (Nursing) course of the

period as determined by the Indian Nursing Council, from time to time, from a recognized institution and to have a certificate related thereto shall be necessary. In addition to this, it shall also be necessary to have a minimum of three years working experience as Grade 'A' Nurse in a hospital recognized by the Medical Council of India.

(2) For direct recruitment, minimum age limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined, reservation categorywise, from time to time, by the Government.

(3) Age on 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for the purpose of determination of age.

7. Procedure of Recruitment. - (1) The appointing authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of each year and getting roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Commission latest by 30th April.

(2) In view of the requisition, the Commission shall invite applications, by advertising vacancies, and shall prepare merit list on following basis:-

- | | |
|---|------------|
| (a) For marks obtained in B.Sc. (Nursing) course examination-50 marks | |
| (b) For higher degree | -10 marks |
| (c) For working experience as Grade 'A' Nurse
(5 marks per year, maximum 25 marks) | - 25 marks |
| (d) For Interview | - 15 marks |

Total - 100 marks

Explanation :-

The marks to be given to a candidate for B.Sc. (Nursing) course examination shall be determined by multiplying the percentage of total marks obtained in the aforesaid examination by multiple of 0.5. For example, if a candidate has obtained 50% marks, then he will be given $50\% \times 0.5 = 25$ marks.

(3) Procedure for interview shall be determined by the Commission.

(4) After preparing merit list on the basis of sub-rule (2), preliminary scrutiny of certificates and medical check up shall be conducted by the Commission with the co-operation of the Appointing Authority and, thereafter, reservation categorywise final recommendation, in accordance with the requisitioned vacancies, shall be sent to the Appointing Authority. At the level of Appointing Authority also, antecedents of candidates shall be caused to be verified after scrutiny of certificates.

(5) After recommendation of the Commission, compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to procedure of appointment, shall be necessary.

Chapter - 4 : PROBATION/DEPARTMENTAL EXAMINATION/CONFIRMATION

8. Probation period. - After appointment, candidates shall be on probation. The probation period will be of two years. In case, the service in the probation period is not found satisfactory, the probation period will be extended for one year. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the Appointing Authority may terminate the service of such Junior Sister Tutor.

9. Training. - In probation period, Junior Sister Tutors shall have to successfully complete such training (including treasury training), as may be determined by the Department.

10. Departmental Examination. - Junior Sister Tutor shall have to pass the Departmental Examination conducted by the Department. The syllabus of the Departmental Examination shall be determined by the Department.

11. Confirmation. - On service being satisfactory in probation period, completing training successfully and passing of departmental examination, a Junior Sister Tutor may be confirmed in the service.

12. Seniority. - The inter-se seniority of Junior Sister Tutors shall be determined according to the merit list prepared by the Commission.

Chapter - 5 : PROMOTION

13. Promotion. - (1) Subject to availability of vacancies, a Junior Sister Tutor may be posted to the next chain of posts of Senior Sister Tutor, on the basis of merit-cum-seniority, and having teaching experience of minimum of 5 (five) years. The Departmental Promotion Committee may conduct interview/test for this proposes. The appropriate Departmental Promotion Committee shall judge the merit and availability of eligible employees for promotion on the basis of record of service, including confidential reports and recommend the order in which they may be promoted.

(2) In case of exigency or non-availability of eligible Junior Sister Tutor, the Government can make appointment to the posts of Senior Sister Tutor on contract basis, for a limited period, from outside sources.

(3) After getting a minimum of 5 (Five) years teaching experience, promotion from the post of Senior Sister Tutor to the next chain of post of Principal/Registrar may be considered, on the basis of merit-cum-seniority, subject to availability of vacancies:

Provided that in case of unavailability of Cadre staffs, the Government shall have an option to appoint suitable persons as Principal/Registrar from outside the cadre after following prescribed procedure.

(4) Assistant Director, Nursing. - This post shall be filled up by posting from amongst Principals/Registrar, on the basis of seniority.

(5) Deputy Director, Nursing. - This post shall be filled up by posting from amongst Assistant Directors, on the basis of merit-cum-seniority, subject to availability of vacancy.

(6) Joint Director, Nursing. - This post shall be filled up, by promotion, from amongst Deputy Directors. on the basis of merit-cum-seniority, subject to availability of vacancy.

(7) For consideration of promotion to the post of Joint Director, compliance of instructions concerning KALAWADHI, issued by the General Administration Department, from time to time, shall be necessary.

(8) Compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to promotion and Character Roll/ PAR, allegation/departmental proceedings/criminal proceedings, etc shall be required at the time of consideration of Promotion.

14. Departmental Promotion Committee. - (1) Promotions, shall be considerable on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee.

(2) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.

(3) For consideration of promotion in the maximum grade pay, the Chairman or Member of the Commission shall be the Chairman of the Departmental Promotion Committee.

Chapter 6 : MISCELLANEOUS

15. Reservation. - Compliance of Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion issued by the Government, from time to time, shall be necessary.

16. The personnels already appointed/promoted and working to the posts of this cadre, before coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre.

17. The chain of posts mentioned in Rule - 4 shall be effective only after approval of the Government.

18. **Residue matters.** - For the subjects for which provisions have not been made in these Rules, provisions of relevant Codes/Rules/Resolutions/Instructions of the Government shall apply.

19. **Interpretation.** - If any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, it shall be referred to the State Government and in this respect decision of the State Government shall be final.

20. **Removal of difficulties.** - If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the State Government may issue such order, which is not inconsistent of the provisions of these rules and necessary and expedient remove any such difficulty.

21. **Repeal and Savings.**- (1) The Rules, and all Resolutions, Instructions, Orders, etc. issued earlier, from time to time, by the Department with respect to this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under aforesaid Rules, resolutions, orders, instructions etc shall be deemed to be done or taken under these Rules, as if it were in force on the date on which such thing was done or such an action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
SURESH KUMAR SHARMA,
Joint Secretary to Government.

Appendix - 1

[See Rule 2 (7), 4, 12, 13]

Chain of posts of Bihar Nursing Teaching Cadre

Sl. No.	Grade	Name of Posts	Direct Recruitment or Promotion	Educational Qualification/ Experience/KALAW ADHI	Remarks
1.	Basic Grade	Junior Sister Tutor	By Direct Recruitment	(i) B.Sc. (Nursing). (ii) Minimum 3 (Three) years work-experience on the post of Grade - A Nurse necessary.	-
2.	First Chain	Senior Sister Tutor	By Posting	Minimum 5 (five) years teaching experience on the post of Junior Sister Tutor necessary.	-
3.	Second Chain	Principal/Registrar/Assistant Director (Nursing)	By Promotion	Minimum 10 (ten) years teaching experience necessary.	The Govt. shall have option to appoint persons from outside the cadre on the recommendation of the Commission.

4.	Third Chain	Deputy Director, Nursing	By Posting		-
5.	Fourth Chain	Joint Director, Nursing	By Promotion	KALAWADHI as determined by General Administration Department, from time to time.	-

Note:—The Pay Band and Grade pay of all aforesaid grades shall be revisable by the Government, from time to time.

By order of the Governor of Bihar,
SURESH KUMAR SHARMA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 838-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>